संख्या-03/आई/1198593/2026/001- 89-1002(099)/4/2025

प्रेषक,

मनोज वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग लखनऊ: दिनाँक: 08 जनवरी, 2026

विषय-जिला योजनान्तर्गत प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो में नवीन निर्माण, मरम्मत/जीर्णोद्धार एवं अन्य निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-आई/360152/2025/UPDTE/217/2025 दिनांक 28.11.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया जिला योजनान्तर्गत प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो में नवीन निर्माण, मरम्मत/जीर्णोद्धार एवं अन्य निर्माण कार्यों हेतु निम्न विवरण के अनुसार आगणित लागत की धनराशि रू0 268.06 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए कुल धनराशि **रू0 268.06 लाख (रूपये दो करोड़ अड़सठ लाख छः हजार मात्र)** स्वीकृत करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

धनराशि रूपये लाख में

क्र0 सं0	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/ जनपद का नाम	कार्यो का विवरण	प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन की धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि	कार्यदायी संस्था का नाम
1	2	3	4	5	6
1	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, काष्ठकला, सिविल लाइन्स, बरेली	कार्यशाला मैके0 आर0ए0सी0 नवीनीकरण एवं रख-रखाव का कार्य	20.83	20.83	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कार्पो0 लि0
		कार्यशाला मैके0 डीजल नवीनीकरण एवं रख-रखाव का कार्य	28.23	28.23	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कार्पो0 लि0
		पुस्तकालय नवीनीकरण एवं रख-रखाव का कार्य	40.26	40.26	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कार्पो0 लि0
2	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अमेठी।	जीर्णोद्धार के कार्य हेतु	178.74	178.74	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कार्पो0 लि0
	कुल योग			**268.06**	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.gov.in

1. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में दी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. समिति की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. सेंटेज चार्जेज के संबंध में वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 17.05.2023 एवं 19.05.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. किसी भी वित्तीय अनियमिमता का उत्तरदायित्व निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

5. प्रस्तावित कार्यों की लागत का अनुमोदन प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुये किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशालय का होगा। प्रस्तावों के स्कोप में परिवर्तन आदि सक्षम स्तर से पूर्व अनुमोदन के बगैर नहीं किया जायेगा।

6. प्रस्तावित कार्यों की लागत का अनुमोदन प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

7. प्रस्तावित कार्यों मे बाट आउट आईटम बजटरी आफर/ कोटेशन/बाजार दरों के आधार पर प्रस्तावित की गई है। समिति का मत है कि इसके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक/ माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः कार्यदायी संस्था निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

8. वित्तीय स्वीकृति मूल्यांकित लागत पर जारी की जाय किन्तु परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेंडर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाय। परियोजना की मूल्यांकित लागत एवं टेंडर कॉस्ट में यदि कोई बचत हो तो उसे नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9. उक्त प्रस्ताव में उल्लिखित रेनोवेशन एवं रिपेयर के कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी मेन्टेनेन्स मैनुवल में निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाय। प्रस्तावित कार्यो को समिति के स्थलीय निरीक्षणोंपरान्त न्यूनतम आवश्यकतानुसार कराया जाय।

10. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा अन्य कार्य/मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता होगी।

11. प्रधानाचार्य/निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

12. स्वीकृत धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नही रखी जायेगी। शेष बची धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।

13. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

14. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा।

नग उक्त कार्यों को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत योजना संबंधित जनपद की जिला योजना समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है।

16. आगणन में उल्लिखित किये गये दर की समस्त जिम्मेदारी निदेशालय/कार्यदायी संस्था का होगा।

17. लेबर शेष की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।

18. उक्त तालिका के स्तम्भ- 6 में अंकित संस्था को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,68,06,000 (रुपये दो करोड़ अड़सठ लाख छह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 069 **लेखा शीर्षक** 4250002030700 दस्तकार प्रशिक्षण योंजना (जिला योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन,उ0प्र0,लखनऊ।
4- जिलाधिकारी बरेली/अमेठी।
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-11/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
6- वित्त नियंत्रक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
7- प्रबन्धक निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कार्पो0 लि0, लखनऊ।
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बरेली/अमेठी (द्वारा निदेशक)।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in